दिनांकः 01.06.2026

-प्रेस नोट-

ऑपरेशन सवेरा

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

□ सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करों के विरूद्ध कडी कार्यवाही □

थाना मिर्जापुर पुलिस का मादक पदार्थों की तस्करी पर करारा प्रहार — 02 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 410 ग्राम अवैध चरस बरामद ,

*अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **“ऑपरेशन सवेरा”** – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है।*

*इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 10.06.2026 को दौराने गस्त चैकिंग थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान **02 नशा तस्कर अभियुक्तगण 1. सरफराज पुत्र अनवर निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर व 2. सनव्वर पुत्र अहसान नि0 ग्राम खुड्डा थाना छपार जिला मुजफ्फरनगर हाल पता ग्राम रहडी थाना बेहट जिला सहारनपुर** को कुल 410 ग्राम अवैध चरस (सनव्वर से 195 ग्राम चरस व सरफराज से 215 ग्राम चरस) सहित एकीकृत ठोस अपशिष्ठ केन्द्र के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मिर्जापुर पर मु0अ0सं0 166/2026 धारा 8/20/60 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहे है*

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम/ पताः-

1. सरफराज पुत्र अनवर निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

2. सनव्वर पुत्र अहसान निवासी ग्राम खुड्डा थाना छपार जिला मुजफ्फरनगर हाल पता ग्राम रहडी थाना बेहट जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

410 ग्राम अवैध चरस,

अभियुक्त सनव्वर उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

मु0अ0स0 318/26 धारा 5/8 सीएस एक्ट चलानी थाना मिर्जापुर सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।*
2. *उ0नि0 श्री अवशेष भाटी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।*
3. *का0 2017 चिराग थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।*
4. *रिका0 1499 मौ0 सगीर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।*
5. *रि0का0 1453 बाबूराम थाना मिर्जापुर सहारनपुर*

दिनांकः **11.06.2026**

-प्रेस नोट-

ऑपरेशन सवेरा

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

□ *सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करों के विरूद्ध कडी कार्यवाही* □

थाना मिर्जापुर पुलिस का मादक पदार्थों की तस्करी पर करारा प्रहार — 01 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 156 ग्राम अवैध चरस बरामद ,

*अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **“ऑपरेशन सवेरा”** – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है।*

*इसी क्रम में पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे नशीलें पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार मे शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान **“ऑपरेशन सवेरा””** के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 11.06.2026 को समय 10.30 बजे दौराने गस्त चैकिंग थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान **01 नशा तस्कर अभियुक्त1 इमरान पुत्र हासिम निवासी ग्राम जानीपुर थाना मिर्जापुर सहारनपुर** को खैरा नहर पुल, वन विभाग की करौदी चौकी को जाने वाले रोड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त इमरान के कब्जे से 156 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मिर्जापुर पर मु0अ0सं0 167/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहे है*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/ पताः-

इमरान पुत्र हासिम निवासी ग्राम जानीपुर थाना मिर्जापुर सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

156 ग्राम अवैध चरस,

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।*
2. *उ0नि0 नरेश कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।*
3. *हे0का0 891 अमित राठी थाना मिर्जापुर सहारनपुर*
4. *रि0का0 1440 विष्णुकान्त थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।*
5. *रि0का0 1472 अरुण कुमार थाना मिर्जापुर सहारनपुर*

दिनांक: 11.06.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने व साइलेंसर से पटाखा छोडने पर 03 बुलेट मोटरसाइकिल सीज

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं यातायात नियमों के प्रभावी अनुपालन हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा निरंतर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक बिहारीगढ़ श्री सतेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 11.06.2026 को थाना बिहारीगढ़ पुलिस द्वारा विशेष वाहन चेकिंग अभियान संचालित किया गया।

*चेकिंग के दौरान साइलेंसर से तेज आवाज/पटाखा छोड़कर ध्वनि प्रदूषण फैलाने तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले **03 बुलेट मोटरसाइकिलों क्रमशः UK07BY2833, UK07FB5918 एवं UP11CJ8201** को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के अंतर्गत सीज करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गई।*

सहारनपुर पुलिस आमजन से यातायात नियमों का पालन करने तथा वाहन में किसी भी प्रकार का अवैध मॉडिफिकेशन न कराने की अपील करती है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी रहेगा।

सीज करने वाली पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सतेन्द्र सिंह थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री संजीव यादव थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
3. म0उ0नि0 अक्षिता सिंह थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
4. का0 1873 विक्रान्त कुमार थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर
5. का0 2453 संदीप कुमार थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

मिशन शक्ति 5.0

नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

दिनांकः 11.06.2026

मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत — थाना बिहारीगढ़ एण्टीरोमियो टीम द्वारा सड़क पर आने-जाने वाली बालिकाओं/महिलाओं पर अश्लील टिप्पणी करने वाला 01 मनचला अभियुक्त गिरफ्तार

*अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में महिला सम्बन्धी अपराध की रोकथाम हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग व जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक बिहारीगढ़ श्री सतेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 10.06.2026 को थाना बिहारीगढ़ मिशन शक्ति एन्टी रोमियो टीम द्वारा चेकिंग के दौरान सड़क पर आने-जाने वाली महिलाओं व बालिकाओं पर अश्लील टिप्पणी करने वाले **01 मनचले अभियुक्त शाबान पुत्र शमशेर सिंह नि0 ग्राम भगतोवाला थाना झबरेड़ा जिला हरिद्वार** को ग्राम सुन्दरपुर टांको इण्टर कालेज के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना बिहारीगढ़ पर मु0अ0सं0 90/26 धारा 296 बीएनएस के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

शाबान पुत्र शमशेर सिंह नि0 ग्राम भगतोवाला थाना झबरेड़ा जिला हरिद्वार

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1. *म0उ0नि0 अक्षिता सिंह थाना बिहारीगढ़, जनपद सहारनपुर*
2. *म0का0 1169 चंचल शर्मा थाना बिहारीगढ़, जनपद सहारनपुर*
3. *रि0का0 519 विनय थाना बिहारीगढ़, जनपद सहारनपुर*
4. *म0रि0का0 559 संगीता थाना बिहारीगढ़, जनपद सहारनपुर*
5. *म0रि0का0 561 सुधांशु थाना बिहारीगढ़, जनपद सहारनपुर*

-प्रेस नोट-

दिनांक: **11-06-2026**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा एक वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक फतेहपुर श्री वीरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 11.06.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान ***01 वारण्टी अभियुक्त अमजद पुत्र शब्बीर उर्फ लीला नि0 दतौली मुगल थाना फतेहपुर जनपद सहरनपुर*** *को सम्बन्धित वाद सं0 5576/25 व मु0अ0सं0 531/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नकुड में ग्राम दतौली मुगल से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अमजद पुत्र शब्बीर उर्फ लीला निवासी दतौली मुगल थाना फतेहपुर जनपद सहरनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री अमित सोनी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
3. है0का0 1110 प्रेम चौधरी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
4. का0 244 धर्मेन्द्र कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
5. रि0का0 770 बब्बू कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
6. रि0का0 796 अमरजीत थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 11.06-2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा अवैध चाकू सहित 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक फतेहपुर श्री वीरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व में दिनांक 10.06.2026 को थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान ***01 शातिर अभियुक्त सन्दीप सैनी पुत्र स्व रविन्द्र नि0 ग्राम मुजफ्फराबाद थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर*** *को मुजफ्फराबाद की तरफ से एसबीआई बैक के समाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 233/26 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सन्दीप सैनी पुत्र स्व रविन्द्र नि0 ग्राम मुजफ्फराबाद थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

01 अवैध चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर*
2. *उ0नि0 श्री बबलू कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर*
3. *है0का0 1032 ललित कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर*
4. *का0 412 धनुज कुमार थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर*

दिनांक: 11-06-2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 02 वांछित चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर चोरी की 03 मोटरसाइकिल बरामद

घटनाओं का विवरणः

1. वादी अभिनव कुमार पुत्र मनोज कुमार निवासी सैदपुरा थाना नागल सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की मोटरसाइकिल चोरी कर ले जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना जनकपुरी पर मु0अ0स0 139/26 धारा 303(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया था।
2. दिनांक 11.06.2026 को थाना मण्डी पर मु0अ0स0 285/26 धारा 318(4)/317(2)/317(5) बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाहीः-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वाहन चोरी की घटनाओं की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/वाहन चोर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाकर संघन चैकिंग की जा रही है । इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक मण्डी श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 11.06.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान उपरोक्त मुकदमों में वाहन चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए प्रकाश में आये **02 वांछित चोर/अभियुक्तगण 1. नितिन पुत्र मनोज निवासी बेरीबाग शक्कुपुरा थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर व 2. नितिन पुत्र पप्पू पेन्टर निवासी बेरीबाग शक्कुपुरा थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर** को मण्डी समिति के गेट के पास से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण के कब्जे/निशानदेही पर चोरी की 03 मोटरसाइकिल बरामद । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर उपरोक्त मुकदमों धारा 336(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी । गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. नितिन पुत्र मनोज निवासी बेरीबाग शक्कुपुरा थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर
2. नितिन पुत्र पप्पू पेन्टर निवासी बेरीबाग शक्कुपुरा थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 01 मोटरसाइकिल स्पलेन्डर प्लस रंग सिल्वर
- 02 मोटरसाइकिल स्पलेण्डर प्लस काली

अभियुक्त नितिन पुत्र पप्पू का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 043/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना जनकपुरी सहारनपुर
2. मु0अ0स0 296/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना जनकपुरी सहारनपुर
3. मु0अ0स0 285/2026 धारा 318(4)/317(2)/317(5) बीएनएस थाना जनकपुरी सहारनपुर

<u>अभियुक्त नितिन पुत्र मनोज का आपराधिक इतिहास</u>-

1. मु0अ0स0 296/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना जनकपुरी सहारनपुर

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–</u>

1. *उ0नि0 सुधीर कुमार थाना मण्डी सहारनपुर*
2. *है0का0 1233 विपिन राणा थाना मण्डी सहारनपुर*
3. *है0का0 09 महबूब अली थाना मण्डी सहारनपुर*
4. *है0का0 848 कपिल कुमार थाना मण्डी सहारनपुर*
5. *का0 1570 रवि कुमार थाना मण्डी सहारनपुर*

दिनांक: 11.06.2026

-प्रेस नोट-

थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा 04 एनबीडब्लू वारण्टी अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 11.06.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग व गश्त के दौरान ***04 एनबीडब्लू वारण्टी अभियुक्तगण 1-खजान पुत्र मदन सिंह निवासी ग्राम मेदूवाला थाना विकास नगर जिला देहरादून(उत्तराखण्ड, 2-दुर्गा पत्नी खजान सिंह निवासी ग्राम मेदूवाला थाना विकास नगर जिला देहरादून(उत्तराखण्ड, 3-प्रियंका पुत्री मदन सिंह निवासी ग्राम मेदूवाला थाना विकास नगर जिला देहरादून(उत्तराखण्ड) व 4-सूरमा देवी पत्नी मदन सिंह निवासी ग्राम मेदूवाला थाना विकास नगर जिला देहरादून(उत्तराखण्ड)*** *को संबंधित वाद संख्या 3268/25 व मु0अ0सं0 323/504/506 भादवि (मा0 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय जनपद सहारनपुर) में जनपद देहरादून उत्तराखण्ड से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1- नखजान पुत्र मदन सिंह निवासी ग्राम मेदूवाला थाना विकास नगर जिला देहरादून(उत्तराखण्ड)
2- दुर्गा पत्नी खजान सिंह निवासी ग्राम मेदूवाला थाना विकास नगर जिला देहरादून (उत्तराखण्ड)
3- प्रियंका पुत्री मदन सिंह निवासी ग्राम मेदूवाला थाना विकास नगर जिला देहरादून(उत्तराखण्ड)
4- सूरमा देवी पत्नी मदन सिंह निवासी ग्राम मेदूवाला थाना विकास नगर जिला देहरादून(उत्तराखण्ड)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री देवेश शर्मा थाना नकुड जनपद सहारनपुर,
2. उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर,
3. है0का0 643 दीपक थाना नकुड जनपद सहारनपुर,
4. रि0म0का0 कल्पना थाना नकुड जनपद सहारनपुर,
5. रि0म0का0 मीनाक्षी थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 11.06.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा अपने नाम का फर्जी बैनामा दिखाकर धोखाधड़ी से रूपये हडपने के मुकदमें में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरणः-

दिनाँक 26.05.26 को वादी सोहराब पुत्र मौहम्मद इकराम निवासी मौहल्ला मजर हसन कस्बा व थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर के प्रार्थन पत्र पर माननीय न्यायालय सहारनपुर के आदेश के क्रम में थाना फतेहपुर पुर मु0अ0सं0 211/26 धारा 420/467/468/471 भादवि के पंजीकृत कराया था । जिसमें अभियुक्त मुजफ्फर हुसैन पुत्र शहजाद नि0 नई बस्ती नजदीक मार्ग वाटर टैंक छुटमलपुर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर द्वारा वादी के नाम पर ग्राम पैलो खुर्द मे जमीन का बैनामा करने के नाम पर भूमि का फर्जी व कूट रचित बैनामा दिखाकर 61,50,000/- रुपये ले लेना, रूपये वापस मांगने पर वापस न करने के सम्बन्ध मे मुकदमा दर्ज किया गया।

पुलिस कार्यवाहीः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग की जा रही है । इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिह राणा के कुशल नेतृत्व में आज दिनाँक 11.06.26 को मुखबिर की सूचना पर थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में ***वांछित अभियुक्त मुजफ्फर हुसैन पुत्र शहजाद नि0 नई बस्ती नजदीक मार्ग वाटर टैंक छुटमलपुर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर*** *को छुटमलपुर से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।*

पूछताछ का विवरण- *अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि दिनांक 11.04.23 को मैने अपने दोस्त सोहराब को छुटमलपुर बुलाकर एक फर्जी खतौनी दिखाकर गाव पैलो खुर्द की जमीन का 61.50 लाख रुपये मे सौदा किया थी जिसमे सोहराब द्वारा आरटीजीएस के माध्यम से पूरा पैसा ट्रांसफर कर दिया गया था, लेकिन वह जमीन मैने खतौनी पर अपने नाम की फर्जी एडिटिंग कराकर सोहराब को दिखाई थी ।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मुजफ्फर हुसैन पुत्र शहजाद नि0 नई बस्ती नजदीक मार्ग वाटर टैंक छुटमलपुर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिह राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. वरि0उ0नि0 श्री भूपेन्द्र शर्मा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
3. है0का0 1336 प्रशान्त कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
4. है0का0 581 लक्ष्मीप्रसाद थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
5. है0का0 757 सन्नी कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
6. रि0का0 784 निशान्त कमल थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
7. रि0का0 805 इन्द्रपाल थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

दिनांक: 11.06.2026

-प्रेस नोट-

थाना रामपुर मनिहारन पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना में वांछित महिला अभियुक्ता सहित कुल 03 अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्त के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त 01 देशी तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक खोखा कारतूस (नाल मे फंसा) बरामद

घटना का विवरणः-

दिनांक 09.06.2026 को वादी श्री सुलेखचन्द पुत्र हरि सिंह निवासी खेडी बैरागी थाना बाबरी जनपद शामली की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण द्वारा वादी के पुत्र शिवकुमार की गोली मारकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना रामपुर मनिहारान पर मु0अ0सं0 193/2026 धारा धारा-191(2)/191(3)/190/103(1)/351(3) बीएनएस के पंजीकृत कराया गया था।

पुलिस कार्यवाहीः-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर घटना में लिप्त अभियुक्तो की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिए गये थे । इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक उम्मेद कुमार के कुशल नेतृत्व मे दिनांक 10.06.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनि0 पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में हत्या की घटना में **02 वांछित अभियुक्तगण 1. कर्मवीर पुत्र सिरदारा निवासी खेडा हटाना थाना बडौत जिला बागपत 2. अभियुक्ता विमला पत्नी रोहताश निवासी ग्राम खेडी बैरागी थाना बाबरी जिला शामली** को **चुनहैटी फ्लाईओवर के नीचे से** गिरफ्तार किया गया तथा दिनांक 11.06.2026 को **प्रकाश मे आये वांछित अभियुक्त 3. रवि कुमार पुत्र बृहमपाल निवासी ग्राम बनत थाना आदर्श मण्डी जिला शामली** को शिवदास पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त रवि की निशादेही पर घटना में **प्रयुक्त आला कत्ल 01 देशी तमंचा 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 खोखा कारतूस 315 बोर (नाल मे फसा**) बरामद । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी । गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्त कर्मवीर ने पूछताछ पर बताया कि मेरी मेरी भाजी आकांक्षा का उसी के ही गाँव के शिवकुमार पुत्र सलेकचन्द से करीब 04 से 05 वर्षों से प्रेम प्रसंग चला रहा था । दोनो एक ही गाँव व एक ही बिरादरी होने के चलते कई बार समझाया भी गया था। लेकिन इसी साल फरवरी के महीने में आकांक्षा और शिवकुमार दोनो ने लव मैरिज कर ली थी और शिवकुमार मेरी भांजी आकाक्षा को लेकर तभी से ही मुजफ्फरनगर रह रहा था । दो तीन दिन पहले हमे पता चला था कि दिनांक 09.06.2026 को मेरी भांजी आकांक्षा का सहारनपुर के रामपुर मनिहारान क्षेत्र में उ0प्र0 पुलिस का पेपर होने का पता चला तो मैं तथा मेरा भांजा मंजीत उर्फ आकाश, मेरी बहन विमला व मेरी बडी भांजी मौसम तथा उसका लडका आदित्य तथा मंजीत का दोस्त रवि आदि हम छः लोग आकांक्षा से बात करने रामपुर मनिहारान पेपर के सेन्टर पर पहुँच गये थे । मेरी बहन विमला व बडी भांजी मौसम ने आकांक्षा को घर चलने के लिए कहा तो आकांक्षा ने घर चलने से मना कर दिया और जब आकांक्षा और शिवकुमार गाडी में दो अन्य लोगों के साथ बैठकर अपने घर जाने लगे तो मैने तथा मेरे भांजे मंजीत उर्फ आकाश व मंजीत के दोस्त रवि ने आपस में सलाह करके कि जब आकांक्षा और शिवकुमार हमारी बात नहीं मान रहे है और गाँव मे हमारी बेज्जती करा दी है मै तथा मेरा भांजा मंजीत, मेरी बहन विमला व रवि आपस में एक राय हो गये कि आज

दोनों को जान से मार देते है और विमला से कहा कि तुम मौसम और उसके लडके आदित्य को इस बारे में मत बताना इसके बाद मै तथा मंजीत और रवि मोटर साईकिल पर बैठकर आकांक्षा और शिवकुमार की गाडी के पीछे-पीछे चल दिये और मौका देखकर मै मोटर साईकिल से नीचे उतर गया तथा उसके बाद मंजीत और उसके दोस्त रवि ने शिव कुमार की गाडी के पास जाकर रवि ने गाड़ी में बैठे शिवकुमार को बराबर वाली खिडकी से देशी तमंचे से गोली मार दी थी और गोली मारकर हम सभी मौके से पकडे जाने के डर से भाग गये थे।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-</u>

1. कर्मवीर पुत्र सिरदारा नि0 खेडा हटाना थाना बडौत जिला बागपत

2. विमला पत्नी रोहताश नि0 ग्राम खेडी बैरागी थाना बाबरी जिला शामली

3. रवि कुमार पुत्र बृहमपाल निवासी ग्राम बनत थाना आदर्श मण्डी जिला शामली

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

01 देशी तमंचा 315 बोर (आलाकत्ल)

01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

01 खोखा कारतूस 315 बोर (नाल मे फंसा)

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1. प्रभारी निरीक्षक श्री उम्मेद कुमार थाना रामपुर मनि0 सहारनपुर

2. उ0नि0 ललित कुमार थाना रामपुर मनि0 सहारनपुर

3. का0 1069 अंकित कुमार थाना रामपुर मनि0 सहारनपुर

4. का0 1887 अंकित सोम थाना रामपुर मनि0 सहारनपुर

5. म0का0 440 नजमा थाना रामपुर मनि0 सहारनपुर

6. रि0म0का0 1959 अर्चना थाना रामपुर मनि0 सहारनपुर